(19)

R. 266-III/2001

Stamped Rs. fifteen only 24/1/2001

Presented by Shri Shriram Panday Advocate today on 24.1.2001 24/1/2001 AS(R)

धर्मराज सिंह तनय अंशधारी सिंह उम्र 62 साल पेशा खेती सा० उपनीं तहसील गोपदबनास जिला सीधी, म०प्र० -------- आवेदक

बनाम,

म०प्र० राज्य शासन व्दारा राजस्व अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी, म०प्र० ---------- अनावेदक

राजस्व मंडल
आ. क्र. 70
दिनांक 6-2-2001
मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी विरूद्द आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला सीधी न प्रकरण क्र०-4/निगरानी/2000 आदेश दिनांक 23-10-2000 एवं प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अवैधानिक, दुर्भावित कार्यवाहियों के संबंध में अधीक्षणीय शक्ति के प्रयोग से अधीक्षणार्थ । अन्तरगत धारायें 8 एवं 50 म०प्र० भू रा०सं० 1959

6-2-2001

मान्यवर,

आवेदक का सविनय निगरानी आवेदन निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत है :----

-: निगरानी आवेदन के तथ्यात्मक बिन्दुऐं :-

1- यहकि आवेदक के स्वत्वाधिपत्य की भूमि क्रमांक-486, 488 के चेक के अन्तर्गत भूमि क्रमांक-487 रकबा 0-87 की स्थित के संबंध में आवेदक के पूर्वज भूमिस्वामी एवं उनके पश्चात उत्तराधिकार में प्राप्त कर स्वत्वाधिपत्य में आने पर उनके चेक के अन्दर वादग्रस्त शासकीय भूमि होने या ग्रा के रकबे के 10% के हिसाब से शासकीय भूमि को निस्तार पत्रक में लिखे जाने के समय आवेदक के चेक के अन्दर श्मशान के आशय की वादग्रस्त भूमि होने की जानकारी नहीं थी । भूमि पड़ताल के समय पटवारी हल्का ने भी उनके चेक के अन्दर शासकीय श्मशान के लिये भूमि लिखी होने का तथ्य कभी नहीं बतलाया था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 266–दो/2001 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 –9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 04/निग0/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित भूमि निरस्तार पत्रक में कब्रिस्तान श्मसान हेतु सुरक्षित है। जिस पर आवेदक अतिक्रामक की हैसियत से काबिज था, जिससे संहिता की धारा 248 के अधीन कार्यवाही की जाकर तहसीलदार गोपदबनास द्वारा प्रकरण क्रमांक 624/अ–68/94–95 में पारित आदेश दिनांक 31.08.95 द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक की ओर से अवधि के बाद दिनांक 18.01.96 को अपील दायर की गई है । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में भी	

आवेदक की ओर से दायर की गई निगरानी भी समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है । अवधि माफी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिन प्रतिदिन हुये विलंब के कारणों को नहीं बतलेया गया है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि निस्तार पत्रक में श्मशान हेतु सुरक्षित है जिससे आवेदक को यह ज्ञात था कि इसका व्यवस्थापन नहीं हो सकता इसलिये उसने तहसीलदार के न्यायालय में पैरवी नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी समय के भीतर कोई अपील नहीं दायर किया तथा अपर आयुक्त के न्यायालय में भी समय के भीतर निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार यह पाया गया कि आवेदक विधि के विपरीत अपना पक्ष समर्थन रखना चाहता है जो कि न्यायसंगत नहीं है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य